झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में

सी.एम. पी. संख्या 388 /2019

मदन मोहन राय, पिता- स्व. बासुदेव राय, वर्तमान निवास- जय प्रकाश नगर, गली नंबर 4, पोस्टू + थाना + जिला- धनबाद, स्था यी निवास- कोर्ट क्वार्टर कॉलोनी क्वार्टर नंबर-173-हीरापुर, वर्मा चौक, पोस्टि + थाना + जिला-धनबाद

....याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, परियोजना भवन, पोस्ट+थाना -धुर्वा, जिला-रांची।

3. सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखंड सरकार, नेपाल हाउस, पोस्टु +थाना- डोरंडा, जिला- रांची

4. मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, झारखंड सरकार, नेपाल हाउस, पोस्टभ + थाना- डोरंडा, जिला-रांची

5. अधीक्षण अभियंता, बिल्डिंग सर्किल, हजारीबाग, पोस्टौ+थाना+ जिला- हजारीबाग

6. कार्यकारी अभियंता, भवन प्रभाग, कंबाइंड बिल्डिंग, पोस्ट + थाना + जिला- धनबाद।

...उत्तरदाता

(वीसी के माध्यम से)कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री चन्द्रशेखर

याचिकाकर्ता के लिए : श्री कुमार नीलेश, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री जगदीश, एससी-1 के एसी

आदेश संख्या 6/दिनांकः 11 मार्च 2022

रिट की कार्यवाही में, याचिकाकर्ता ने 7 नवंबर, 2012 को अपने विद्वत अधिवक्ता के माध्यम से कुछ भी निवेदन नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है कि रिट याचिका पर सुनवाई 17 मार्च, 2017 को हुई और उस दिन भी याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। परिणामस्वसरूप, रिट याचिका डब्ल्यू .पी. (एस) संख्या 5339 डिफॉल्ट में खारिज कर दी गई और 6 दिसंबर 2012 का अंतरिम आदेश रद्द कर दिया गया।

2. वर्तमान सिविल विविध याचिका 20 मई, 2019 को दाखिल की गई है, जो स्पष्ट रूप से दो वर्षों से भी अधिक विलंब से किया गया है।

वर्तमान सिविल विविध याचिका में सात पैरा हैं जिनमें से चार पैरा प्रोफार्मा पैरा हैं। सीएमपी संख्या 388/2019 से संबंधित प्रकथन निम्नानुसार हैं :

3. कि, पहले याचिकाकर्ता के अधिवक्ताप अपनी गलती के कारण सुनवाई के समय अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके थे।

5. कि, याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक है और वृद्धास्था संबंधी विभिन्न रोगों से ग्रस्त है। याचिकाकर्ता को निगरानी संबंधी सहायता की आवश्यकता है, जिसका उन्होंने कानूनी रूप से दावा भी किया है।

<u>सी.एम. पी. संख्या 388 /2019</u>

3. उपर्युक्त पैरा के अध्ययन से, मुझे वर्तमान सिविल विविध याचिका दायर करने में किए कए विलंब से संबंधित कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ।

याचिका में इस बात का भी कोई उल्लेख नहीं है कि याचिकाकर्ता को विद्वत अधिवक्ता की अनुपस्थिति और उसके कारण रिट याचिका के डिफ़ॉल्ट में खारिज होने के बारे में कब पता चला।

4. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, मैं इस सिविल विविध याचिका पर विचार करने का इच्छुक नहीं हूं और तदनुसार, सीएमपी संख्या 388/2019 को खारिज किया जाता है।

(श्री चंद्रशेखर, न्याया0)

अमित /